FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023/79

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

अज अदालत........................ मुकाम........................

.... मुकेश .... बनाम........................ गणेश वगै0........................

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 225............नं.........46.........सन्.....2023......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ... जो इस हुक्म की तामील में जारी हु...
13.07.2023	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री श्याम मोहन शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नंबर 13/2020 बउनवान गिरधारी बनाम सूरजमल में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.02.2020 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के अन्तिरम आदेश दिनांक 27.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 27.02.2020 तक इस कदर जारी की गई कि विपक्षीगण को आगामी तिथि तक इस आशय कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम आनलपुर मे स्थित खसरा नंबर 1387 रकबा 0.26 है0 के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त उक्त आदेश विधि विपरीत जाकर तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है । टी.आई. मे वर्णित आराजी खसरा नबर 1387 रकबा 0.26 है0 भूमि पैतृक भूमि है जो कि पूनिया से बंशी के और बंशी से सूरजमल के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुयी है तथ सूरजमल से उक्त आराजीयात	

(राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर — मुहर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांटस् व रेस्पोडेन्टस् की सहखातेदारी मे आई है, प्रत्येक सहखातेदार का उसके हिस्से मुताबिक प्रत्येक ईन्च जमीन पर हक व अधिकार होता है। इस बात पर गौर किये बिना ही मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.02.2020 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा दिनांक 23.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र भी तहत न्यायालय मे पेश किया था कि स्थगन आदेश खारिज फरमाया जावें इस पर अपीलांट अधिवक्ता से दिनांक 22.06.2023 को जाकर मिलने पर आगामी पेशी दिनांक 24.08.2023 होना बताया। धोखे से प्राप्त किया आदेश पर कोई मियाद लागू नही होती है। अतः देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त उक्त आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विधि विपरीत जाकर तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने के आदेश दिनांक 27.02.2020 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2020 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।
3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।
4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

मातहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि अप्रार्थीगण को कोई सम्मन/सूचना दिए बिना, व सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत है।

प्रथमः— सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 03 ए के अनुसार :— "**(क)** व्यादेश देने वाला आदेश किए जाने के तुरन्त पश्चात व्यादेश के लिए आवेदन की प्रति निम्नलिखित के साथ—

(i) आवेदन के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र की प्रति;

(ii) वादपत्र की प्रति; और

(iii) उन दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर आवेदक निर्भर करता है, विरोधी पक्षकार को दे या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजें "

मातहत अदालत द्वारा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 03 ए की पालना अपने निर्णय मे नही की है। अदालत मातहत द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 27.02.2020 मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त आज दिनांक तक भी रेस्पोडेन्टगण की तलवी हेतु रजि0 तलवी जारी नही की गई। इस कारण आलौच्य आदेश विधिक प्रकिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

द्वितीयः— उक्त विवादित आराजीयात जमाबंदी सवंत् 2074—2077 वाके ग्राम आलनपुर पटवार हल्का आलनपुर भू अभिलेख क्षेत्र सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 1387 रकबा 0.26 है0 सूरजमल पुत्र बंशीलाल जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण का पिता है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण एक ही पैदाकर्ता की संताने है। उक्त विवादित आराजीयात अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण की पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति पर प्रत्येक वारिसान का समान अधिकार होता हैं तथा प्रत्येक वारिसान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण उक्त आराजीयात के सहखातेदार है। एक खातेदार द्वारा दुसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 13/2020 बउनवान गिरधारी बनाम सूरजमल में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.02.2020 मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रचलन से स्थगित किया जाता है।

अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

समयावधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner